पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः **5954**/अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **12/10/2015**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की पंद्रहवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.08.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 01 से 04 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.08.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**
टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

03. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** (पृष्ठ क्र. 05 से 08 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

04. **पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 09 से 10 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

07. **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 11 से 12 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुस्तकों एवं शोध–पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्राप्त राशि रु. 10 लाख के उपयोगितार्थ प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 13)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

05. **विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिये आमंत्रित निविदाओं के अनुशंसित दरों पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 14)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. **विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर पर संचालक, शारीरिक शिक्षा के लिए ट्रेक सूट, ब्लेज़र क्रय करने की अनुशंसा का अनुमोदन करना।**
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 15)

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

09. **जैविकी अध्ययनशाला के नये सेमीनार हॉल का नाम सर जगदीश चन्द्र बोस (Sir J.C. Bose) के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 16)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान में निर्मित सेमीनार हाल का नामकरण Prof. Mahadeva Lal Schroff किये जाने पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 17 से 20 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावास, और गेस्ट हाउस में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापन के लिए क्रेडा से प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 84.90 लाख स्वीकृति पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 21 से 24 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

12. **अध्यापक शिक्षा संस्थान में एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार B.Ed. एवं M.Ed. दो वर्षीय पाठ्यक्रम के शिक्षकीय पद के संबंध में 9 सहायक प्राध्यापकों की स्वीकृति पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 25)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

13. **B.Voc हेतु बजट प्रावधान (सत्र 2015–16) किये जाने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्र. F.2-22/2015(B.Voc) July 2015 एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 26 से 28 तक)

14. **वार्षिक परीक्षा 2014–15 के परीक्षा पश्चात् किये गए कार्य का देयक राशि रू. 19,22,186=00 (रु. उन्नीस लाख, बाइस हज़ार एक सौ छियासी) में ओसवाल कम्प्युटर एंड कन्सल्टेंट, इंदौर को भुगतान करने की प्रदान करने पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 29)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

15. **विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों की साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में गठित DPC एवं CPC द्वारा किये गए अनुशंसा पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 30 से 31 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

16. **प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।**

टीप : प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :–

1. डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, धमधा रोड, आर्य नगर, दुर्ग
2. अग्रसेन महाविद्यालय, जैतुसाव मठ परिसर, पुरानी बस्ती रायपुर

प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

17. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना ग्रहण करना।** **(पृष्ठ क्र. 32 से 38 तक)**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

18. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति गठन के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 39 से 41 तक)**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

19. **शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में निर्देशार्थ प्रस्तुत।** **(पृष्ठ क्र. 42 से 46 तक)**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

20. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **5955**/अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **12/10/2015**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 4489 / अका. / का.प. / 2015 रायपुर, दिनांक : 18 / 08 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौदहवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ.. एम.डब्ल्यू.वाय.खान	–	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
5. डॉ. के.एन. बापट	–	सदस्य
6. श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
7. प्रोफे.(डॉ.) दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
8. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा	–	सदस्य
10. श्री नवीन मार्कण्डेय	–	सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई :**

विषय क्रमांक 3 निर्णय के अंतिम पैरा में निम्नलिखित बिंदु जोड़ा जाय – "संविदा नियुक्ति नहीं की जावे। नियुक्ति की कार्यवाही यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार की जाय।"

विषय क्रमांक 19 के निर्णय में समिति में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद् का नाम भी शामिल किया जाय।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**
दिनांक 30.07.2015 की बैठक के विषय क्रमांक 16 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :
" नैक (NAAC) के संभावित दिसंबर–जनवरी 2016 के दौरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित

अधिकारियों की सेवाएं अधिकतम छः माह के लिए अथवा शासन द्वारा नियमित/प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने तक (जो भी पहले हो) की जावे।

1. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव– दिनांक 17.08.2015 से
2. डॉ. आर.के. अग्रवाल, उपकुलसचिव– दिनांक 17.08.2015 से
3. श्री बी.सी. विश्वास, वित नियंत्रक – दिनांक 17.08.2015 से
4. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री– दिनांक 19.08.2015 से

श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी की सेवाएं दिनांक 16.08.2015 से छः माह के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) किए जाने का निर्णय लिया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्र 2015–16 से बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के साथ रुपए 97,00,000/– (रुपए सन्तानवे लाख मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृति के संबंध में सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद– कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **मध्यप्रदेश जिला कार्यालय कार्यवाही निर्देशिका के आधार पर विश्वविद्यालय के कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

06. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से वित विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जावे।**

07. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाय।**

08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

09. वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रु. 40 लाख (चालीस लाख रुपये) की गई भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रुपए 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख) के भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यकतानुसार विनियम क्रमांक 91 में संशोधन कर ली जाय।**

11. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जावे।**

12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए इस पर वास्तविक क्रय राशि रुपए 64,76,740.00 (रुपए चौसठ लाख छिहत्तर हजार सात सौ चालीस मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

02. नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिये छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी. डी. नगर जोन रायपुर, को किये गये भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी.नगर जोन, रायपुर को किए गए भुगतान की राशि रुपए 7,60,449.00 (रुपए सात लाख साठ हजार चार सौ उन्चास मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

03. श्री राम कालेज, सारागांव, जिला–रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री राम कालेज, सारागांव, जिला–रायपुर में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति के द्वारा अनुशंसित नाम डॉ. कायम जेहरा का अनुमोदन किया गया।**

04. सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/– प्रतिछात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सेंटर फॉर बेसिक साइंस प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि इसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/– प्रति छात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। अतः प्रस्ताव के अनुसार सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह रु. 5000/– छात्रवृत्ति प्रदान किया जावे।**

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व कार्यपरिषद् सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. शंकर दुबे का दिनांक 13.08.2015 को निधन हो जाने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4490 अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 18/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(5)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 5920/अका./वि.परि./2015 रायपुर, दिनांक : 7/10/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 23.09.2015 को अपराह् 3:00 बजे डॉ.सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1.	प्रोफे. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
8.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	–	सदस्य
9.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
10.	डॉ. ज्योति पाण्डेय	–	सदस्य
11.	डॉ. जया तिवारी	–	सदस्य
12.	डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
13.	डॉ. रामकिशोर मिश्र	–	सदस्य
14.	डॉ. माया वर्मा	–	सदस्य
15.	डॉ. स्वप्निल कर्महे	–	सदस्य
16.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	–	सदस्य
17.	डॉ. अंजना ठाकुर	–	सदस्य
18.	डॉ. आर.के. ब्रम्हे	–	सदस्य
19.	डॉ. प्रियम्वदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
20.	डॉ. दिनेशनंदिनी परिहार	–	सदस्य
21.	डॉ. आभा आर. पाल	–	सदस्य
22.	डॉ. सरला शर्मा	–	सदस्य
23.	डॉ. आर. एन. बघेल	–	सदस्य
24.	डॉ. के.के. घोष	–	सदस्य
25.	डॉ. प्रभा रोहतगी	–	सदस्य
26.	डॉ. कविता ठाकुर	–	सदस्य
27.	डॉ. एस.के. पाण्डेय	–	सदस्य
28.	डॉ. एच.के. पाठक	–	सदस्य
29.	डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
30.	डॉ. रेखा पिंपलगांवकर	–	सदस्य
31.	डॉ. माया शेडपुरे	–	सदस्य
32.	डॉ. ए.के. गुप्ता	–	सदस्य
33.	डॉ. अरूण कुमार	–	सदस्य
34.	डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
35.	डॉ. ज्योति रवि तिवारी	–	सदस्य
36.	डॉ. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
37.	डॉ. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
38.	डॉ. व्यास दुबे	–	सदस्य
39.	डॉ. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
40.	डॉ. निनाद बोधनकर	–	सदस्य
41.	डॉ. रक्षा सिंह	–	सदस्य

42. डॉ. ममता शर्मा	–	सदस्य
43. डॉ. आर.एन. सिंह	–	सदस्य
44. डॉ. राजीव तिवारी	–	सदस्य
45. डॉ. अशोक प्रधान	–	सदस्य
46. डॉ. प्रिया राव	–	सदस्य
47. डॉ. अनुभा झा	–	सदस्य
48. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सदस्य

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

4. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रुरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (**Rural Planning and Development**) में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः क्षेत्रीय अध्ययनशाला एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (**Rural Planning and Development**) में संशोधन करते हुए एम.ए. रूरल डेवलपमेंट (**Rural Development**) करने की अनुशंसा की गई।

Rural Development (ग्रामीण विकास) में एम.ए. उत्तीर्ण छात्रों को क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में शोध (पी–एच.डी.) करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई। चूंकि **Rural Development** (ग्रामीण विकास) अंतरविषयक विषय (**Interdisciplinary Subject**) है। इसलिए इसके छात्र अर्थशास्त्र, भूगोल, मानवविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में भी आवेदन दे सकते हैं, उपरोक्त विषय में प्रस्तुत शोध–प्रारूप क्षेत्रीय विकास से संबंधित होना अनिवार्य है।

5. विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं से निर्धारित शुल्क लेकर लिखित उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करने एवं लिखित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् मूल्यांकन से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्धारित शुल्क के आधार पर पुनः मूल्यांकन एवं पुनर्गणना किए जाने संबंधी प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। तद्नुसार अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव कार्यपरिषद् एवं तत्पश्चात् समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

6. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ हेतु, विद्यापरिषद् द्वारा नामों के पैनल तैयार करना।

निर्णयः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा **CAS (Carrier Advancement Scheme)** के तहत प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विद्यापरिषद् की ओर से पैनल (कम से कम 10 विशेषज्ञों के नाम) बनाकर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों को अधिकृत किया जावे। संकायाध्यक्ष एक सप्ताह के अंदर विषय विशेषज्ञ की विस्तृत जानकारी के साथ पैनल कुलपतिजी को प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. **SAP, FIST-DST** एवं **CPE** से अनुदान प्राप्त विभागों को अकादमिक एवं परीक्षा के लिए स्वायत्ता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस हेतु रेगुलेशन बना ली जाय।
3. **Exam Reform** के अंतर्गत गठित समिति द्वारा प्रश्न पत्र पैटर्न के लिए की गई अनुशंसा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

4. सत्र 2016–17 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने की सिद्धांततः सहमति दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 5921 /अका./वि.परि./2015 रायपुर, दिनांक : 7/10/2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-mail : library_prsu@rediffmail.com, Phone No. 0771 – 2262686

ग्रंथा.पत्र क्र.781/ग्रंथा.समिति/2015 रायपुर, दिनांक 30.07.2015

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की द्वितीय* बैठक दिनांक 28.07.2015, दिन मंगलवार को अपरान्ह 03:00 बजे ग्रंथागार में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. डॉ. एस.के.पाण्डेय, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	सदस्य
3. डॉ.(श्रीमति)स्वर्णलता सराफ	सदस्य
4. डॉ. सी.डी. अगासे	सदस्य
5. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	सदस्य
6. डॉ.ए.के श्रीवास्तव	सदस्य
7. डॉ. एस. के. जाधव	सदस्य
8. डॉ.(श्रीमति)प्रभा रोहतगी	सदस्य
9. डॉ. संजय तिवारी	सदस्य
10. डॉ. अशोक प्रधान	सदस्य
11. श्री के पी. यादव, प्र. वित नियंत्रक	वि.आ.सदस्य
12. डॉ.सुपर्ण सेन गुप्ता, वि.वि.ग्रंथपाल	सचिव

समिति द्वारा सर्वप्रथम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए भाव भीनी श्रद्धांजली अर्पित की गई।

कार्यवृतः–

विषय क.1. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12 .2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णयः– समिति ने सर्व सम्मति से कार्यवृत की पुष्टि की ।

विषय क.2. ग्रंथालय बजट–प्रस्तावित कार्य सूचना।

A पुस्तक क्रय।

B. शोध पत्रिका क्रय।

C. उपकरण क्रय।

D. E- Reading सुविधा।

निर्णयः– समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क.3. ग्रंथालय कम्प्यूटर, सर्वर एवं ग्रंथालय इण्ट्रानेटवर्क के वार्षिक संधारण पर विचार करना।

निर्णयः– Expression of Interest प्राप्त कर इच्छुक फर्मों से संधारण का कार्य कराया जावे।

विषय क.4. Digital India Initiative के अन्तर्गत एक एम. सी. ए. उपाधि धारक कर्मचारी प्रदाय किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– एम. सी. ए. उपाधि धारक को Technical Skilled Person हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 11 माह के अनुबंध के आधार पर रखकर कार्य कराया जावे ।

क्रमशः 02

*=स्वर्ण जयंती वर्ष पश्चात्।

विषय क. 5. Photo Copy & Coffee Bar सुविधा Out Source से उपलब्ध कराये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– Photo Copy & Coffee Bar सुविधा नियमानुसार Out Source से छात्र हित और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जावे।

विषय क. 6. प्राविण्य उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर सभी कक्षाओं के सभी विषयों की सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अध्ययनार्थ उपलब्ध कराये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– सभी कक्षाओं के सभी विषयों की सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अध्ययनार्थ ग्रंथालय में उपलब्ध कराया जावे।

विषय क 7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

निर्णयः– अध्यक्ष की अनुमति से ग्रंथालय समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1. अध्यक्ष समस्त अध्ययन शालाओं की बैठक बुलाकर विभागीय ग्रंथालय की संभावना पर विचार किया जावे।
2. ग्रंथालय के आउटर हॉल के सौदर्यीकरण हेतु यथा संभव प्रयास किया जावे।
3. इश्यू काउण्टर को आधुनिक तकनीक के अनुरुप बनाया जावे।
4. सभी अध्ययन कक्षों में नये पर्दे लगायें जायें।
5. 20 टर्मिनल युक्त ई रीडिंग रुम बनाया जावे।

(डॉ. एस. के. पाण्डेय)
अध्यक्ष
ग्रंथालय समिति

(डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता)
सचिव
ग्रंथालय समिति

पृष्ठांकन दृपत्र क्र. 782/ग्रंथा.समिति/2015

रायपुर, दिनांक 30.07.2015

प्रतिलिपि–

1. माननीय कुलपति जी, अध्यक्ष ग्रंथालय समिति।
2. माननीय कुलसचिव जी,
3. माननीय समस्त सदस्य ग्रंथालय समिति।

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
ग्रंथालय समिति

***

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1	प्रो0 एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुंलसचिव
3	प्रो0 रीता वेणुगोपाल	सदस्य
4	डॉ0 देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
5	डॉ0 आर. एन. सिहं	सदस्य
6	डॉ0 आर. के. देवांगन	सदस्य
7	श्री राजेश दवे	सदस्य
8	श्री संजय शर्मा	सदस्य
9	श्री प्रमोद मेने	सदस्य
10	डॉ0 सुमीत तिवारी	सदस्य
11	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
12	डॉ0 विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये : –

विषय क्र. 1– विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय – विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2– क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय – क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

3 शारीरिक शिक्षा विभाग, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय,रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2015–16 का अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय – शारीरिक शिक्षा विभाग, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविश्वविद्यालय,रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2015–16 का अनुमोदन किया गया ।

4 पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2015–16 में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 7,65,000/- (Seven Lakh Sixty Five Thousand) की स्वीकृति प्रदान करना। **(बजट संलग्न)**

निर्णय – पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2015–16 में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 7,65,000/- (Seven Lakh Sixty Five Thousand) की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

5 जिमनेजियम से संबंधित खेल समाग्री क्रय हेतु Rs. 5.00 Lacs (Five Lacs) की स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय – जिमनेजियम से संबंधित खेल समाग्री क्रय हेतु Rs. 5.00 Lacs (Five Lacs) की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1 कोटा स्टेडियम मैदान का समतलीयकरण कर खेलने योग्य किया जाय संबंधी निर्णय लिया गया ।

2 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलसचिव आवास, टीचर्स हास्टल, गेस्ट हाउस व सामुदायिक भवन में खिलाडियों को ठहराये जाने की व्यवस्था की जाय संबंधी निर्णय लिया गया ।

3 अंतर विश्वविद्यालय टीम के मैनेजर/कोच एवं खिलाडियो के ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाय । यह आवश्यक कार्यवाही पश्चात् लागू किया जाय ।

4 कोटा स्टेडियम खेल मैदान को क्रिकेट मैदान के रूप में विकसित करने की बात श्री राजेश दवे ने की तथा क्रिकेट संघ द्वारा आवश्यक खर्च किये जाने की बात कही गयी तथा एक माह के अंदर त्वरित कार्यवाही करने संबंधी जानकारी दी ।

5 जिमनेशियम संबंधी खेल उपकरण को क्रय किये जाने संबंधी बात श्री संजय शर्मा से सलाह मशविराहा कर क्रय किये जाने की बात की गयी जो विभिन्न खेल के खिलाडियों को सुविधा दी जा सके। इस संबंध में निर्णय लिया गया ।

प्रो. एस. के. पाण्डेय
कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति
पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर

डॉ. विपिनचंद्र शर्मा
संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषयः– वि.वि. अनुदान आयोग से पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्राप्त राशि रू. 10.00 लाख के उपयोगार्थ प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

वि.वि. के अनुदान प्रकोष्ठ के संलग्न पत्र क्र. 2027/अनु. प्रको./ आदेश/ 2015 रायपुर, दिनांक 06/08/2015 द्वारा वि.वि. अनुदान आयोग से प्राप्त राशि रू. 3,90,05,000/– में से चतुर्थ किश्त में **पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं के** क्रय हेतु राशि रू. 10.00 लाख का आबंटन प्राप्त प्रदान किया गया है।

प्राप्त आबंटन राशि रु.10.00 के उपयोगार्थ प्रस्तावित है कि–

1. प्राप्त आबंटन राशि रु.10.00 लाख में से

अ. राशि रु. 5.00 लाख की पुस्तकें (प्रिण्ट एवं ई बुक्स) का क्रय किया जाना,

ब. राशि रु.5.00 लाख की शोधपत्रिकाऐं (प्रिण्ट एवं आन लाईन)का क्रय किया जाना,

2. पुस्तकों एवं शोधपत्रिकाओं का क्रय वि.वि. द्वारा अनुमोदित दर (छूट) एवं फर्म से किया जाना।

अतएव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्राप्त आबंटन राशि रु. 10.00 लाख के उपयोगार्थ उपरोक्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

वि.वि. ग्रंथपाल

7

(14)

विषय :– विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए आमंत्रित निविदाओं के अनुशंसित दरों पर विचार करना।

——00——

1. विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ नियमानुसार निविदायें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के दो–दो दैनिक समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय के वेबसाईट के माध्यम से सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर से आमंत्रित की गई।

2. विदेशी शोध पत्रिकाओं के लिए तीन फर्मों ने निविदा प्रस्तुत किया। तीनों फर्म अर्ह पाये गये। अर्ह पाये गये तीनों फर्मों की कामर्सियल बिड की संलग्न तुलनात्मक तालिका के कालम 6 में अधिकतम छुट दरे एवं प्रदाता फर्म का उल्लेख किया गया।

3. विदेशी शोध पत्रिकाओं पर विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुसंशित छूट की दर एवं फर्म–

   अ. प्रिन्ट : अधिकतम छुट दर 3.55 प्रतिशत वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश द्वारा प्रदान किया गया है। अतः वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश से क्रय की अनुशंसा की है।

   ब. ऑनलाईन : तीनों फर्म द्वारा समान छूट दर 3 प्रतिशत प्रदान किया गया है। अतः एक ही फर्म से क्रय करने हेतु वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश की अनुशंसा की है।

   स. प्रिन्ट एवं ऑनलाईन पर तीनों फर्मो द्वारा समान छूट दर 3 प्रतिशत प्रदान किया गया है। अतः एक ही फर्म से क्रय करने हेतु वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश की अनुशंसा की है।

4. गत वर्ष विदेशी शोध पत्रिकाओं के लिए प्राप्त अधिकतम छूट दर प्रिन्ट पर 7.13 प्रतिशत, ऑनलाईन पर 3 प्रतिशत तथा प्रिन्ट एवं ऑनलाईन पर 2.13 प्रतिशत था।

अतः वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश से विदेशी शोध पत्रिकाओं की प्रिन्ट 3.55 प्रतिशत, ऑनलाईन 3 प्रतिशत, प्रिन्ट एवं ऑनलाईन 3 प्रतिशत छूट पर क्रय हेतु माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

वि.वि. ग्रंथपाल

(15)

कार्यालयीन– टीप

विषय :– विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर पर संचालक शारीररिक शिक्षा के लिये ट्रेकसूट, ब्लेजर क्रय करने की अनुशंसा कर अनुमोदन करना ।

भावपत्र के अनुसार तुलनात्मक सूची तैयार की गयी । तुलनात्मक सूची अनुसार विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा Rates are recommended on the quality basis पर निम्नलिखित फर्मो से ब्लेजर एवं ट्रेकसूट क्रय किये जाने हेतु संस्तुति की गई है, जो निम्नांकित है :

S,N,	Name of Farm	Rate Per nos	Qty	Amount
1	M/s Shams Soprts Blazar (Siyaram)	1675/-	200 Nos	3,35,000/-
2	M/s Vijay Consers Tracksuit (Jagros)	816/-	800 Nos	6,52,800/-
			Total --	Rs. 9,87,800/-

Rs. 9,87,800/- (Nine Lacs Eighty Seven Thousand Eight Hundred) से ब्लेजर एवं ट्रेकसूट क्रय किये जाने की अनुशंसा माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

(16)

Google sir jagadish chandra bose

Sign in

Web Images News Videos Maps More Search tools

About 68,600 results (0.56 seconds)

Jagadish Chandra Bose - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/**Jagadish_Chandra_Bose**
Sir Jagadish Chandra Bose was born in Mymensingh, Bengal Presidency, (present day Bangladesh) on 30 November 1858. His father, Bhagawan Chandra ...
Early life and education - Joining Presidency College - Radio research

Jagadish Chandra Bose - Biography, Facts and Pictures
www.famousscientists.org/**jagadish-chandra-bose**/
Sir Jagadish Chandra Bose is one of the most prominent first Indian scientists who proved by experimentation that both animals and plants share much in ...

SIR JAGADISH CHANDRA BOSE: the unsung Hero of ... - MIT
web.mit.edu/varun_ag/www/**bose**.html
by V Aggarwal - 2006 - Related articles
Achievements of **Sir J. C. Bose** in the field of communication (In a Nutshell). **Sir J. C. Bose** invented the Mercury Coherer (together with the telephone receiver) ...

Famous Scientists - Jagdish Chandra Bose
humantouchofchemistry.com/**jagdish-chandra-bose**.htm
... fishermen? He'll hear tales of birds and animals that make him curious about Nature. And that makes him one of India's first scientists - **Jagdish Chandra Bose**.

Science And History: Sir Jagadish Chandra Bose
science-history.blogspot.com/p/**sir-jagadish-chandra-bose**.html
Sir Jagdish Chandra Bose was born in Bikrampur, Bengal, now Munshiganj District of Bangladesh) on November 30, 1870. His father, Bhagawan Chandra Bose ...

Jagdish Chandra Bose Biography - iloveIndia.com
www.iloveindia.com › Famous Indians › Scientists
Here is a brief biography and history of **Jagdish Chandra Bose**. Read information on life of Indian scientist **Jagadish Chandra Bose**.

Sir Dr. Jagadish Chandra Bose - From the Secret Life of ...
www.ebdir.net/enlighten/**bose**_yogananda.html
Indian Scientist Sir **Dr. Jagadish Chandra Bose** invented the Crescograph an electrical instrument that could measure the growth of a plant. A Modern Electronic ...

Introduction - Dr.J.C.Bose
www.freeindia.org/biographies/greatscientists/**jcbose**/index.htm
Dr.J.C.BOSE. Suppose there is a lush green plant and its leaves are a sparkling green in the shining sunlight. We feel like pulling out a leaf to feel it. But we do ...

Jagdish Chandra Bose - Indian Science Information
www.indianscience.in/info/index.php/**Jagdish_Chandra_Bose**
Apr 7, 2008 - **Jagdish Chandra Bose** was born in India in 1858. ... in November 1894, in the presence of Sir William Mackenzie, the Lieutenant Governor.

Acharya J. C. Bose - Bose Institute
www.**bose**inst.ernet.in/founder.html
Bose Institute was founded by Acharya **Jagadish Chandra Bose**, F.R.S., in 1917. The institute was one of the earliest, perhaps the first modern research institute ...

Searches related to sir jagadish chandra bose

sir jagadish chandra bose **inventions**	**prafulla** chandra **ray**
sir jagadish chandra bose **nobel prize**	sir jagadish chandra bose **photos**
sir jagadish chandra bose **in hindi**	sir **isaac newton**
sir jagadish chandra bose **quotes**	**satyendra nath** bose

Jagadish Chandra Bose
Physicist

Sir Jagadish Chandra Bose, CSI, CIE, FRS was a Bengali polymatl physicist, biologist, biophysicist, botanist, archaeologist, as well as early writer of science fiction. Wikipedia

Born: November 30, 1858, Mymensingh, Bangladesh
Died: November 23, 1937, Giridih
Spouse: Abala Bose (m. 1887)
Education: Hare School, St. Xavier's College, Kolkata, more
Notable students: Satyendra Nath Bose, Meghnad Saha
Parents: Bhagawan Chandra Bose, Bama Sundari Bose

People also search for
View 15+

Satyendra Nath Bose

Homi J. Bhabha

C. V. Raman

Prafulla Chandra Ray

Meghr Saha

Fe

(17)

संक्षेपिका

विषय :– नये सेमीनार हॉल के नामकरण बाबत्।

फार्मेसी संस्थान में निर्मित सेमीनार हॉल का नामकरण किया जाना है। फार्मेसी संस्थान की स्टाफ कॉसिल से सेमीनार हॉल का नामकरण Prof. Mahadeva Lal Schroff जो कि भारतीय भैषजिक (Pharmacy) विज्ञान के पितामह (Father of Pharmacy) के नाम से प्रख्यात हैं, के नाम से प्रस्तावित किया है। अतः उपरोक्त हॉल का नाम Prof. Mahadeva Lal Schroff के नाम से रखने हेतु प्रकरण कार्य परिषद की स्वीकृति हेतु अग्रेषित।

24/9/2013

Director
University Institute of Pharmacy
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

Mahadeva Lal Schroff (1902-1971)

Mahadeva Lal Schroff (1902-1971)

Mahadeva Lal Schroff played a great role in building the pharmacy education in India and also contributed greatly to the developments of other aspects of pharmacy profession in the country during the years 1930-1970. He is rightly called as Father of Pharmacy Education in India.

Prof. Schroff, who was not trained as a pharmacist, gave the right direction not only to pharmaceutical education but also to the industry as well in India with his inclination, understanding, capacity and broad vision.

Born on March 6, 1902 at Darbhanga in Bihar, Schroff had his schooling from Bhagalpur and passed the Intermediate Examination in 1920. He joined Engineering College Banaras Hindu University for his studies and was inspired by the talk delivered by Swamy Satya Deo at BHU in 1921. He studied at Cornell University and qualified in Bachelor of Arts with honours in chemistry and microbiology from Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 1927. He worked for sometime in USA and returned to India in 1929.

In 1929, He met with Jamnalal Bajaj and involved himself in the movement for freedom. Prof. Schroff raised a voice against the principal Charles A King & then encouraged by the call given by the Mahatma Gandhi, after a brief period of freedom struggle in which he underwent imprisonment for six months in Hazaribagh jail (Bihar),

The Vice Chancellor of Banaras Hindu University. Pt. Madan Mohan Malviyaji who spotted the spirit of education in his eyes and he was

invited to join BHU as a staff. He joined BHU as assistant professor of industrial / organic chemistry in 1930.

The Drugs Enquiry Committee appointed by Government of India laid the foundation of drug and pharmacy statutes and the development of pharmacy profession in general. With reference to the need for training suitable pharmaceutical manpower was an utmost urgency, Pandit Madan Mohan Malaviya (1861-1946) founder and vice-chancellor of BHU realized the importance of the report of Committee and assigned the task of development of pharmaceutical education at the University to Schroff. Schroff introduced pharmaceutical chemistry as the principal subject in B.Sc. course in 1932. From 1934, an integrated 2-year B.Sc. course was introduced. A regular B.Pharm. Course made a beginning from July1937, which was the pharmacy course for the first time in India. This was the first and the foremost creation of Schroff, which earned him the title of the pioneer and Father of Pharmacy Education in India. Schroff also played a great role in building and establishing pharmaceutical education at Birla College Pilani, University of Saugar and Jadavpur University. The vision to have a Central Institute of Pharmacy was first formulated by Schroff in many of his writings and speeches he delivered since 1954. Four decades later it got established as National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) at Mohali (Punjab), but Schroff could not live to see the realization of his project.

Schroff played a great role in professional/statutory organizations in India and his services were utilized by the Government of India in various capacities including in Drugs Technical Advisory Board (DTAB), Indian Pharmacopoeia List Committee and Health Panel of the Planning Commission etc. Schroff started United Provinces' Pharmaceutical Association in 1935 which took the shape of IPA in 1939, with branches all over the country. He founded Indian Pharmaceutical Congress Association (IPCA), which exists till date and organizes